कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/संस्कृत/स्थानांतरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री वृद्धि चन्द यादव व्याख्याता, संस्कृत श्री कल्याण सिंह राउमावि शाहपुरा, जयपुर का स्थानांतरण राउमावि बालापुरा,नैनवा, बून्दी किया गया।

श्री वृद्धि चन्द यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 800/2020 बिरदी चन्द यादव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दायर की गई। जिस पर माननीय अपील अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2020 द्वारा आदेशित किया गया कि अपीलार्थीगण दिनांक 18.11.2020 तक विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर सम्यक सूचना अपीलार्थीगण को दें।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री वृद्धि चन्द यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्तमान पदस्थापन निवास स्थान से 300 किमी देर होने, स्वंय के किडनी रोग से ग्रसित होने एवं पिछले 15 वर्षों से शुगर की बीमारी से ग्रसित होने तथा माताजी लकवे से ग्रसित होने संबधित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राउमावि लखेर जयपुर/राउमावि अजीतगढ, सीकर/राउमावि वाटरवर्क्स, जयपुर/महाराजा गर्ल्स उमावि छोटह चौपड़, जयपुर में से किसी एक विद्यालय में पदस्थापन करने का निवेदन किया है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा पदस्थापित स्थान पर दिनांक 11.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिये जाने के कारण इनकी मांग न्यायोचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार व अन्य प्रकरण में पारित निर्णयानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र किये गए स्थानान्तरण आदेशों से किसी लोकसेवक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अपील सं.800/वृद्धि चन्द यादव/2020 दिनांक : 06/11/2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग/सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. प्राधानाचार्य राउमावि बालापुरा, नैनवा, बून्दी
8. श्री वृद्धि चन्द यादव, व्या. संस्कृत, राउमावि बालापुरा, नैनवा, बून्दी
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15